

फ़ाइल सं.: ए-12025/1/2012/पीबीएन
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(पी. एस. पी. प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 16 जून, 2022.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- प्रकाशन विभाग, दिल्ली में प्रकाशन नियंत्रक के पद हेतु भर्ती नियमावली में संशोधन के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या AB.14017/48/2010-स्था.(RR) दिनांक 13/10/2015 के अनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय प्रकाशन विभाग में प्रकाशन नियंत्रक के पद हेतु प्रस्तावित भर्ती नियमों (मसौदा संलग्न) पर हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती है।

2. प्रकाशन विभाग से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन के साथ प्रस्तावित भर्ती नियमों (मसौदा) को विभाग की वेबसाइट deftpublish.nic.in पर 30 दिनों की अवधि के लिए अपलोड करें अर्थात् दिनांक 15 जुलाई, 2022 तक।

3. यदि कोई टिप्पणियाँ हों, वह निम्नलिखित विवरण के अनुसार ई-मेल या लिखित रूप में संप्रेषित की जा सकती हैं:

टिप्पणियों का विवरण		
ई-मेल आई डी	sr.alwela@nic.in	acop-dep@nic.in
पता	अनुभाग अधिकारी (पी.एस.पी.), कमरा संख्या-204-सी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011.	सहायक नियंत्रक (प्रशासन), प्रकाशन विभाग, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054. दूरभाष : 011-23813761.

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

शशि रंजन अलवेला
(शशि रंजन अलवेला)
अनुभाग अधिकारी (पी.एस.पी.)
दूरभाष : 011-23061236.

सेवा में

नियंत्रक प्रकाशन, प्रकाशन विभाग, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054.

प्रतिलिपि प्रेषित:

अनुभाग अधिकारी (आई. टी. सेल), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञापन को मसौदा भर्ती नियमों के साथ मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं ई-ऑफिस के नोटिस बोर्ड हेतु।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

सा.का.नि._____-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और और भारत का राजपत्र, भाग -II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 11 जून, 2015, में प्रकाशित प्रकाशन विभाग, भारत सरकार (प्रकाशन नियंत्रक) भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय आंशिक रूप से अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रकाशन विभाग में प्रकाशन नियंत्रक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशन विभाग, प्रकाशन नियंत्रक, भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और वेतन ग्रेड या वेतनमान.-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.--उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा

आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन पद अथवा गैर चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रकाशन नियंत्रक	1* (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	7 ^{वें} सी.पी.सी. पे मैट्रिक्स का स्तर 12	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सशस्त्र बल कार्मिक पुनर्नियोजित के लिए दो वर्ष	अल्पावधि संविदा (आई.एस.टी.सी.) सशस्त्र बल कार्मिक पुनर्नियोजन सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा
पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?		वे परिस्थितियाँ जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है-
(11)		(12)		(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्र / राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों /		विभागीय पुष्टिकरण समिति (सशस्त्र बल के पुनः नियोजित कार्मिकों की पुष्टि		पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों के तहत अधिकारी -

(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67,700-2,08,700) में स्तर 11 में समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव का होना:

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक की डिग्री और पर्यवेक्षी स्तर पर प्रशासन / वित्तीय मामलों में आठ साल का अनुभव।

वांछनीय योग्यता:

प्रबंधन या मुद्रण या प्रकाशन या वेब प्रकाशन सहित पुस्तक प्रकाशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा / डिग्री।

नोट 1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल धारित पूर्ववर्ती अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई.एस.टी.सी.) की अवधि आमतौर पर चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पर विचार करने के लिए):-

इसमें शामिल हैं: -

1. अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सदस्य
3. निदेशक प्रभारी पीएसपी प्रभाग - सदस्य

नोट 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिसे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा जहां एक से अधिक पूर्व- पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तदनुसूची वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

नोट 3: सशस्त्र बलों के कार्मिक की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति सशस्त्र बल लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष रैंक के जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र बलों से कायममुक्त होने वाले हैं; उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है।

[एफ.सं.-12025/1/2012-पीबीएन]

सीवी शारदा, अवर सचिव